



**न्यायालय: सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी
अलवर**

पीठासीन अधिकारी	– नरेन्द्र कुमार मीना, आर.जे.एस
दीवानी विविध प्र. सं.	– 46/64/25
सी०आई०एस०	– 64/25

1. मूलचन्द पुत्र रेवड निवासी प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.।

–प्रार्थी/वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र रेवड
2. उमेश पुत्र हनुमान
निवासीगण ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.।
–असल प्रतिवादीगण
3. चन्द्रपाल पुत्र बद्री
4. गिरधारी पुत्र बद्री
निवासीगण ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.।
–तरतीबी प्रतिवादीगण
5. जगदीश पुत्र रेवड
6. योगेश पुत्र बालूराम
7. जितेन्द्र पुत्र बालूराम
निवासीगण निवासीगण ग्राम प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.।
–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1, 2, 3 व 4

धारा 151, 94 दीवानी प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति

1. श्री डी०पी० दीक्षित, श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से
2. श्री सुरेश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. श्री योगेश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.05.2026



1. इस आदेश से प्रार्थी/वादी की ओर से अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1, 2, 3 व 4 धारा 151, 94 दीवानी प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम प्रतापगढ में वादीगण का शामलाती मकान स्थित है। जिस शामलाती मकानके आगे पूर्व की तरफ एक शामलाती तिबारी तथा खाली जगह स्थित है। वे पांच भां जिसमें हनुमान, बाबू, मूलचंद, ब्रदी, जगदीश, पुत्रान रेवड निवासी प्रतापगढ हैं। जिसका सदर निकास तरफ पूर्व को स्थित है। उक्त जायदाद में वादीगण के भां बाबू तथा जगदीश ने अपना हिस्सा वादीगण को दे दिया था। उन्होंने अलग मकान बना लिये हैं। अब उक्त मकान में उन तीना भाईयों का समान साझे का है। शामलाती मकान के तरफ पूर्व को आगे चबूतरे के आगे विबारी थी व आगे खाली जमीन है जो तीनों भाईयों की शामलाती की है। विबारी रिश्तेदारों व गांव वालों के साथ बैठने को छोड रखी है जहां तीनों भाईयों के परिवार बैठते हैं एवं समारोह आदि में एक साथ बैठते हैं तिबारी उनकी शामलाती है। मकान के आगे खाली जगह जो करीब 20 फुट चौडी पश्चिम से पूर्व तथा 33 फुट लंबी उत्तर से दक्षिण है जिसमें उनके परिवार के विवाह शादी के प्रोग्राम करने के काम आती है जो उनके बुजुर्ग के द्वारा बनाई हुई है जिसे वे बुजुर्गों के समय से ही उपयोग उपभोग शामलात में करते आ रहे हैं। मकान के आगे बनी तिबारी शामलाती की तरफ उत्तर पडत जमीन आबादी की, तरफ दक्षिण खाली जगह, तरफ पश्चिम चबूतरा शालाती व तरफ पूर्व खाली जगह शामलाती है। शामलाती तिबारी की नाप ए से बी 12 फुट चौडी तथा ए से सी 18 फुट लंबी है। शामलाती जगह जो नजरी नक्शे में मार्का बी से ई 20 फुट तथा मार्का ई से एफ 33 फुट एवं मार्का एफ से जी 20 फुट तथा मार्का जी से बी 33 फुट है। जो शामलाति तिबारी के पूर्व की तरफ स्थित है। उक्त शामलाती खाली जगह के उत्तर में खाली जगह तथा दक्षिण में खाली जगह है एवं पुर्व में खाली जगह तथा पश्चिम में शामलाती जगह व मकान स्थित है। दिनांक 10.12.2025 को अचानक प्रतिवादिगण असल ने मिलकर सामलाती तिबारी की पूर्व की दीवार को गिरा दिया तथा तिबारी के तरफ पुर्व में शामलाती जगह जो 20, 30 फुट है जिसमें जबरन शामलाती जगह में नींव खोदकर 2 फुट उंची मार्का जी से बी तथा बी से ई तथा ई से एफ तथा डी से एच एवं एक्स से वाई दीवार नया निर्माण कर दिया वादीगण ने उन्हें मना किया तो वो वादीगण को मरने मारने को उतारू हो गये। प्रतिवादीगण को शामलाती जगह में निर्माण करने का कोई हक अधिकार नही



है। प्रतिवादी असल हनुमान तथा उमेश को तिबारी को तोड़कर अकेले को निर्माण करने का कोई हक नहीं है। अगर प्रतिवादीगण असल द्वारा सामलाती तिबारी को तोड़कर निर्माण करते हैं तो वादीगणों के हक व अधिकार समाप्त हो जाएंगे। शामलाती तिबारी पर व शामलाती जगह पूर्व की तरफ स्थित है जिस पर प्रतिवादिगण दोराने दावा कोई निर्माण कार्य करते हैं, तो उसे आज्ञापक व्यायादेश से हटाया जावे एवं सामलाती की तिबारी को व शामलाती जगह को सामलाती घोषित की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह कोई आगे निर्माण कार्य न करें, तिबारी व शामलाती खाली जगह में कोई बदलाव न करें उसके सामलात उपयोग उपभोग में बाधा ना डालें। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया केश है तथा न्याय व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर असल अप्रार्थी शामलाती तिबारी के आगे पूर्व की तरफ शामलाती जगह के वादीगण को उपयोग उपभोग में बाधा ना डालने तथा कोई नरू निर्माण ना करने व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया।

3. अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर यह कथन किया है कि ग्राम प्रतापगढ में हमारे पूर्वजों का शामलाती पक्का रिहायशी मकान स्थित है। जिस मकान में हम सभी पक्षकारान अपने अपने कमरों में रहते हैं, जिसका मुख्य निकास पूर्व दिशा की तरफ स्थित है। इस शामलाती मकान के आगे पूर्व की तरफ एक शामलाती तिबारी तथा तिबारी के उत्तर में शामलाती जगह स्थित है तथा तिबारी के पूर्व की तरफ शामलाती जगह स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण सभी का तथा वादीगण का समान हक साझे का चलता है। हमारे पूर्वजों के इस मकान के तरफ पूर्व में तिबारी व खाली जगह का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। परिवार में कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम हम मकान के सामने टेन्ट लगाकर करते आ रहे हैं। जिस पर हम सभी भाईयों का समान हक व अधिकार चलता है तथा मूलचंद का यह कहना गलत है कि उपरोक्त हमारे पूर्वजों के कान में हमने हमारा हिस्सा उनहें दे दिया हो, बल्कि आज भी हम हमारे हिस्से में काबिज हैं तथा उपरोक्त विवादित जगह का आज भी हम उपयोग उपभोग करते हैं। हमारे बुजुर्गों के शामलाती मकान में वादीगण तथा प्रतिवादीगणों का अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। हारे बुजुर्गों के इस हवेली कान के मुख्य दरवाजा जो कि पूर्व दिशा की तरफ स्थित है जिसके आगे एक शामलाती तिबारी है जिसमें हम सभी भाई बंधु बैठते उठते हैं, तथा गांव के व रिश्तेदार



वगैरा उठते बैठते हैं तथा हमारे शामलाती मकान के आगे तिबारी के पूर्व की तरफ शामलाती जगह स्थित चली आती है जो डामर रोड तक स्थित है। जिसका उपयोग उपभोग उत्सव समारोह हम बुजुर्गों के समय से सभी भाई बंधु वादीगण तथा प्रतिवादीगण करते आ रहे हैं। जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी हनुमान पुत्र रेवड तथा उमेश पुत्र हनुमान जो कि अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने करोड़ों रूपये की जमीन बेचकर नियत, जबरन हमारे शामलाती मकान के मुख्य दरवाजे के सामने जबरन अपने द्वारा नया मकान 20 गुणा 33 फुट जगह में बनाने को नीम खोदकर बुनियाद भर दी व डंडा लगा दिया जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। पुश्तैनी मकान को पीठ देने का, जबकि प्रतिवादी हनुमान व उमेश जो कि पुश्तैनी मकान में उनका हिस्से में कमरे हैं, जिसमें वह रहते हैं, अगर उन्हें मकान की आवश्यकता है तो वे पुश्तैनी कान के उपर छत पर और नए मकान बना ले, लेकिन जानबूझकर वह हम सभी भाईयों का हक समाप्त करने के लिए व मकान जो शामलाती हैं उसकी वैल्यू खत्म करने के लिए, बुजुर्गों के शामलाती कान के सामने स्वयं द्वारा नया मकान निर्माण करने को उतारू हैं जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी हनुमान तथा उसका लडका उमेश अपने धन बल का प्रयोग करते हुए भाडे के आदमियों द्वारा दिनांक 10.12.2025 को लेकर के हमारी शामलाती तिबारी की पूर्व दीवार को मना करने के बावजूद भी गिरा दिए तथा तिबारी के पूर्व की तरफ शामलाती जगह में जबरन से नींव खोदी तथा रातों-रात उस पर नींव भरकर करीब दो तीन फीट उंची दीवार बना दी। प्रतिवादी हनुमान तथा उनके लडके उमेश को हमारे बुजुर्गों के मकान के सामने शामलाती तिबारी की पूर्व की दीवार को तोड़कर उसके पूर्व की तरफ शामलाती जगह में निर्माण करने का कोई हक नहीं है, अगर प्रतिवादी हनुमान पुत्र रेवड तथा उमेश पुत्र हनुमान द्वारा शामलाती जगह में निर्माण करते हैं तो हम सभी भाईयों के हक व अधिकार समाप्त हो जाएंगे, हमने उनकी शिकायत भी की। विवादित जगह हम सभी पक्षकारान वादी तथा प्रतिवादीगण के बुजुर्गों की कब्जेशुदा भूमि है, जिस पर सभी का समान हक व अधिकार है। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया साबित है तथा न्याय सुविधा का संतुलन सभी पक्षकारों के पक्ष में साबित है, अपूर्ण्य क्षति सभी पक्षकारों को होना साबित है। अंत में जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 असल प्रतिवादी हनुमान पुत्र रेवड व उमेश पुत्र हनुमान निवासी प्रतापगढ को शामलाती तिबारी के आगे पूर्व की तरफ शामलाती जगह में कोई नया निर्माण कोई भी पक्ष ना



करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा उपयोग उपभोग में कोई भी बाधा ना डालने हेतु निवेदन किया।

4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर दौराने बहस यह कथन किया है कि वादी के पास संपत्ति का कोई वैध शीर्षक नहीं है। ग्राम पंचायत ने विवादित भूमि को सरकारी जमीन मानी है। वादीगण को बेदखली का दावा लाना चाहिए था। कब्जे के आधार पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

5. उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय बिन्दु है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला

6. प्रार्थी/वादी का यह कथन रहा है कि असल अप्रार्थी शामलाती तिबारी के आगे पूर्व की तरफ शामलाती जगह के वादीगण को उपयोग उपभोग में बाधा ना डालने तथा कोई नया निर्माण ना करने व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया।

7. इसके विपरीत अप्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया है कि वादी संख्या 1 असल प्रतिवादी हनुमान पुत्र रेवड व उमेश पुत्र हनुमान निवासी प्रतापगढ को शामलाती तिबारी के आगे पूर्व की तरफ शामलाती जगह में कोई नया निर्माण कोई भी पक्ष ना करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा उपयोग उपभोग में कोई भी बाधा ना डालने हेतु निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस यह कथन किया है कि वादी के पास संपत्ति का कोई वैध शीर्षक नहीं है। ग्राम पंचायत ने विवादित भूमि को सरकारी जमीन मानी है। वादीगण को बेदखली का दावा लाना चाहिए था। कब्जे के आधार पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

8. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा दौराने बहस किये गये तथ्य कि सामालाती संपत्ति का बंटवारा कर रखा है। संपत्ति की रेवड की है इत्यादि तर्क जो प्रार्थी द्वारा दिये गये हैं वे सभी साक्ष्य का विषय है जो बाद साक्ष्य तय किये जा सकते हैं। जिस संबंध में मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करें तो यह दर्शित होता है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी विवादित संपत्ति के सरकारी भूमि होने के संबंध में कोई कथन अंकित नहीं किया गया है जिसके



खंडन में अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस यह कथन करना कि वादी के पास संपत्ति का कोई वैध शीर्षक नहीं है। ग्राम पंचायत ने विवादित भूमि को सरकारी जमीन मानी है। वादीगण को बेदखली का दावा लाना चाहिए था। कब्जे के आधार पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। एडवर्स पजेशन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत Ravinder Kaur Grewal & Ors Vs. Manjit Kaur & Ors Civil Appeal No.7764 Of 2014 के पैरा नंबर 60 में पारित सिद्धांतों का यहां रूपान्तरण किया जा रहा है When we consider the law of adverse possession as has developed visàvis to property dedicated to public use, courts have been loath to confer the right by adverse possession. There are instances when such properties are encroached upon and then a plea of adverse possession is raised. In Such cases, on the land reserved for public utility, it is desirable that rights should not accrue. The law of adverse possession may cause harsh consequences, hence, we are constrained to observe that it would be advisable that concerning such properties dedicated to public cause, it is made clear in the statute of limitation that no rights can accrue by adverse possession. ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा जो विवादित संपत्ति के सरकारी भूमि पर होने के संबंध में कथन किया गया है वह उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की पालना में नहीं आने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा दिये तर्क से स्पष्ट होता है कि विवादित संपत्ति शामिल संपत्ति है जिस पर भी पक्षकारान का बराबर बराबर कब्जा है, पत्रावली पर जो भी तथ्य आये हैं, उसके संबंध में विनिश्चितात्मक राय मूल वाद में बाद साक्ष्य दिया जाना न्यायालय उचित पाता है। प्रकरण में सद्भाविक विवाद होना प्रकट होता है। प्रकरण में जटिलता उत्पन्न नहीं हो व वाद बहुल्यता ना बढे इसलिए संपत्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1, 2, 3 व 4 धारा 151, 94 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत सुरक्षित व संरक्षित रखना न्यायालय न्यायोचित पाता है। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में पक्षकारान के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः उक्त बिंदु पक्षकारान के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति:

9. उक्त दोनों बिंदु परस्पर संबंधित होने के कारण सम्मिलित रूप से विचरित किये जा रहे हैं। पत्रावली पर जो भी प्रथम दृष्टया तथ्य आये हैं उसमें प्रकरण में जटिलता उत्पन्न ना हो एवं वाद बहुल्यता ना बढे एवं विवादित संपत्ति को सुरक्षित व संरक्षित रखने के आधार पर पक्षकारान के मध्य प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। उक्त विवादित संपत्ति पर किसी प्रकार



का निर्माण कार्य किया जाता है तो वाद की बहुलता बढेगी व जटिलता भी उत्पन्न होगी एवं पक्षकारान को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन संभव नहीं होगा व पक्षकारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। अतः उक्त बिंदू पक्षकारान के पक्ष में निर्धारित किये जाते हैं। निष्कर्षतः हस्तगत प्रकरण में अवधार्य उपरोक्त महत्वपूर्ण बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु पक्षकारान के पक्ष में बनना पाए गए हैं।

आदेश

10. अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को यह आदेश दिया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक विवादित संपत्ति में किसी प्रकार का निर्माण कार्य, तोडफोड नहीं करें एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार किसी भी प्रकार की मौका स्थिति में बदलाव नहीं करने हेतु मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट थानागाजी

11. यह आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट थानागाजी